

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पू.वि.वि./सम्बद्धता/02-30(सीन)/2012/1150
दिनांक: 26/3/12

सेवा में,

प्रबन्धक,
मजीदुन निसा गर्ल्स डिग्री कॉलेज,
कोपागंज, मऊ।

विषय :- मजीदुन निसा गर्ल्स डिग्री कॉलेज, कोपागंज, मऊ में स्ववित्तपोषी योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी.एड. पाठ्यक्रम में चयनित विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-12.08.2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारापराप्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-09 मई, 2000, दिनांक-13 दिसम्बर, 2006 एवं दिनांक-12 अगस्त, 2008 के आलोक में 3 अथवा 5 वर्ष की संविदा के आधार पर निम्नलिखित चयनित अन्वर्थी के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि इनके अंक-पत्रों/प्रमाण-पत्रों का सत्यापन नियोजता अपने स्तर से कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अन्वर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः नगरस्तर समझा जाएगा।

नाम	पिता का नाम	जन्म-तिथि	शैक्षिक अर्हता	विभागाध्यक्ष
डॉ. शिवेन्द्र त्रिपाठी	श्री देवेन्द्र प्रसाद	03-03-1970	एम.ए., एम.एड., पी-एच.डी.	बी.एड.

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अन्वर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ ही यह भी सूचित है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा विभागाध्यक्ष के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्स्ट्रिब्यूटरी प्राविडेण्ट फंड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

भवदीय,
कुलसचिव

प्रबन्धक

मजीदुन निसा गर्ल्स डिग्री कॉलेज
कोपागंज-मऊ

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रबन्धक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पु.वि.वि./सम्बद्धता/02-30(तीन)/2014/6066
दिनांक: 26-2-2014

सेवा में,

प्रबन्धक,
मजीदुन निसा गर्ल्स डिग्री कालेज,
कोपगंज, मऊ।

विषय: स्ववित्तपोषित योजना के अधीन स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक-17.01.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक-09 मई 2000, 31 दिसम्बर 2010 एवं 25 नवम्बर 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत 03 अथवा 05 वर्ष की सविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंकपत्रों का सत्यापन नियोजता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक योग्यता	प्रवक्ता
1	श्री. सुभाष	श्री. जयदेव शर्मा	15.02.1977	एम्बएड०, नेट जून 2010	बी०एड०
2	श्री तीर्थराज	.. जगदीश	12.07.1969	एम्बएड०, नेट जून 2012	बी०एड०
3	.. गोपाल सिंह	.. अशोक कुमार सिंह	28.05.1978	एम्बएड०, नेट दिसम्बर 2012	बी०एड०
4	.. जितेन्द्र कुमार	.. राजबहादुर गौर्य	08.07.1981	एम्बएड०, नेट जून 2012	बी०एड०
5	.. वीरमद प्रताप	.. शिवचन्द्र शम	01.03.1986	एम्बएड०, नेट दिसम्बर 2011	बी०एड०
6	.. दुर्गा शंकर	.. रामचन्द्र प्रसाद	01.05.1981	एम्बएड०, नेट जून 2012	बी०एड०
7	.. नवीन कुमार	.. पन्ना लाल गुप्ता	30.01.1982	एम्बएड०, नेट दिसम्बर 2012	बी०एड०

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं सविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुमोदन पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, वेतन एकाउन्टपेयी चेक द्वारा ही भुगतान किया जाय तथा अध्यापकों के लिए अंशदायी नविध्वनिधि (कान्फ़ीड्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय।

महोदय,
26/2/14

कुलसचिव

प्रबन्धक

मजीदुन निसा गर्ल्स डिग्री कालेज
कोपगंज-मऊ